उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001.

दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177,

पत्रांक 1388 /वि0अनु0 / 02 / शा0अनु0–301562(12) / 2024–25 दिनांक : 4/06/25

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पिथौरागढ़।

कार्यालय
अधि0 अभि0
उ0जा0स0 पिथौरागढ
पत्रांक 2443 दि0. 19/6/25

विषयः जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत धमोडा ऐंचोली से हनुमान मंदिर पम्प हाउस तक भिलोट सप्लाई मेंन (MSERW Pipe 100 mm DIA NB) पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–301562/2025 ई. 87161 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 28 मई, 2025 से जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत धमोडा ऐंचोली से हनुमान मंदिर पम्प हाउस तक भिलोट सप्लाई मेंन **(MSERW Pipe 100 mm DIA NB)** पाईप लाईन बिछाने की योजना की विभागीय टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी **₹ 92.84** लाख में सम्मिलित सैंटज की धनराशि को कम करते हुए **₹ 87.95** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रुप में **₹ 52.77** लाख (रु0 बावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

आपको शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि टी0ए0सी0 से परीक्षित प्राक्कलन की नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों, शर्तो एंव अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का नियमानुसार अनुपालन करते हुए उपयोगिता समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः–शासनादेश की प्रति।

(मनीष सेमवाल)
सचिव(अप्रैजल)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
3. टी0ए0सी0 अनुभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून।

सचिव(अप्रैजल)

प्रेषक,

सं0 I/3a1562/2025 ई. 87161

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 28 मई, 2025

विषय :– जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत धमोडा ऐंचोली से हनुमान मंदिर पम्प हाउस तक भिलोट सप्लाई में (MSERW pipe 100 mm DIA NB) पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 7720/TAC/2024–25 दिनांक 28 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत धमोडा ऐंचोली से हनुमान मंदिर पम्प हाउस तक भिलोट सप्लाई मेंन (MSERW pipe 100 mm DIA NB) पाईप लाईन बिछाने की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 92.84 लाख में सम्मिलित सैंटेज की धनराशि रू0 4.89 लाख को कम करते हुए रू0 87.95 (₹ सत्तासी लाख पिचानबे हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किशत के रूप में ₹ 52.77 लाख (₹ बावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। धनराशि को किसी भी स्तर पर किसी भी दशा में पार्क नहीं किया जायेगा।

(iii) योजना के अन्तर्गत समस्त घटकों/संरचनाओं की जी0आई0एस0 मैपिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(viii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(ix) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर जी जाए।

(xi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(XIV) योजना के प्राक्कलन में सम्मिलित किए गये सुपरविजन चार्ज धनराशि, जल संस्थान को सेंटेज/सुपरविजन जार्च अनुमन्यता के संबंध में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–05–नगरीय पेयजल–02–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढीकरण–53–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश व्यय वित्त नियन्त्रण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/300525 /2025 दिनांक 23 मई, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 28-05-2025
13:30:07

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0–87161/(1)/2025, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।